

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाने के लिए चलंत स्वावलम्बी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (मैत्री) Multipurpose Artificial Insemination Technician in Rural India (MAITRI)

- योजना:** राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राज्य में स्वावलम्बी MAITRI (मैत्री) केन्द्रों का गठन (इसके अन्तर्गत सरकारी नौकरी की कोई योजना नहीं है)।
- लक्ष्य:** 3,824 मैत्री केन्द्रों का गठन।
- कार्य क्षेत्र:** 510 प्रखंड के चयनित 3,812 पंचायत।
- मुख्य उद्देश्य:** राज्य के पशुपालकों को प्रशिक्षित स्वावलम्बी चलंत कृत्रिम गर्भाधान कर्ता द्वारा उनके द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराकर गुणवत्ता पूर्ण सिमेन के उपयोग से पशुओं का नस्ल सुधार एवं संवर्धन करने की योजना है।



चयन के लिए पात्रता:

अनिवार्य: संबंधित पंचायत का निवासी होना चाहिए (कृत्रिम गर्भाधानकर्ता का चयन पंचायत स्तर पर किया जायेगा)। न्यूनतम उम्र - 18 वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता समतुल्य / 10+2।

प्राथमिकता: सरकार के स्तर से चलाये जाने वाले पशु टीकाकरण एवं डीवर्मिंग कार्यक्रम में कार्यानुभव रखने वाले व्यक्ति (टीकाकर्मी को प्राथमिकता देने हेतु जिला पशुपालन कार्यालय से अनुभव प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।) प्रशिक्षित निजी कृत्रिम गर्भाधान कर्ता (प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा)। कोविड-19 के कारण बेरोजगार हुए व्यक्ति (जिला स्तर पर तैयार की गयी संबंधित सूची का ब्यौरा अंकित करना होगा)। सरकार की योजना द्वारा पशु प्रक्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्ति (RPL/NRLM इत्यादि) (प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा)।



प्रशिक्षण:

योजना अन्तर्गत पंचायत से बेरोजगार युवकों को चयनोपरांत तीन माह का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसमें एक माह का आवासीय प्रशिक्षण एवं दो माह का क्षेत्र प्रशिक्षण शामिल है।

स्थापना: कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का गठन चयनित पंचायतों में किया जायेगा। चलंत स्वावलम्बी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों (MAITRI) के कर्मी प्राइवेट/निजी व्यक्ति होंगे, उनका प्रखण्डवार चयन मात्र कृत्रिम गर्भाधान के प्रशिक्षण के लिये किया जायेगा तथा इस आधार पर उन्हें राज्य सरकार अथवा बी.एल.डी.ए. के द्वारा भविष्य में नियमित रोजगार/वेतन देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। MAITRI (मैत्री) के कर्मी/कृत्रिम गर्भाधान कर्ता पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कर स्वयं आय प्राप्त करेंगे। कृत्रिम गर्भाधान कर्ता से प्रशिक्षण से पहले जमानत राशि के रूप में रुपये 10,000/- (दस हजार) ली जायेगी। प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हें लगभग रुपये 50,000/- (पचास हजार) मूल्य की सामग्री दी जायेगी तथा विभाग के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग होने वाले तरल नाईट्रोजन, फ्रोजेन सीमेन स्ट्रॉ इत्यादि उचित मूल्य पर मुहैया करायी जायेगी, जिसका उपयोग पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया जायेगा। MAITRI (मैत्री) कर्मी/कृत्रिम गर्भाधान कर्ता पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान हेतु राशि संबंधित पशुपालक से प्राप्त करेंगे एवं स्वयं की आय का सृजन करेंगे। कृत्रिम गर्भाधान कर्ता से प्रशिक्षण से पूर्व रुपये 1,000/- (एक हजार) के Non- Judicial Stamp Paper पर त्रिपक्षीय एकरारनामा किया जायेगा।



चयन/आवेदन प्रक्रिया: MAITRI

कर्मी/कृत्रिम गर्भाधान कर्ता के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्त किया जायेगा। इसके लिए विभागीय वेबसाइट www.ahd.bih.nic.in पर 01.07.2026 से 10.07.2026 तक लिंक उपलब्ध होगा। ऑनलाईन आवेदन समाप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर अंतिम चयन किया जायेगा।

लाभार्थियों से केवल ऑनलाईन आवेदन लिया जायेगा।

इसके लिए विभागीय वेबसाइट www.ahd.bih.nic.in पर प्रकाशन की तिथि से 01.07.2026 से 10.07.2026 तक लिंक उपलब्ध होगा।